न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 100/2010

1 उम्मेद सिंह कुल्हार उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री बजरंगलाल, जाति जाट, निवासी देवरोड़, हाल वार्ड नं. 25 चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 शिव कुमार उर्फ श्योप्रसाद, उम्र 70, पुत्र श्री गजाधर उर्फ गंगाधर जाति जाट, निवासी देवरोड़, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

1/1 संजय कुमार पुत्र शिवकुमार उर्फ शिवकुमार जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

1/2 सुनिता पुत्री शिवकुमार उर्फ श्योप्रसाद पत्नी सतबीर, जाति जाट निवासी बिगोदना, तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

1/3 सुमन पुत्री शिवकुमार उर्फ श्योप्रसाद, पत्नी अन्तरसिंह , जाति जाट निवासी रायला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

1/4 राजबाला पुत्री शिवकुमार उर्फ श्योप्रसाद पत्नी पवन कुमार जाति जाट निवासी रायला तहसील सूरजगढ़ राजस्थान।

1/5 शांति देवी पत्नी शिवकुमार उर्फ श्योप्रसाद जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

2 दुर्गा देवी उम्र 60 वर्ष बेवा अमीलाल, जाति जाट, निवासी देवरोड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

3 सुनील उम्र 35 वर्ष पुत्र अमीलाल

4 अनिल, उम्र 33 वर्ष पुत्र अमीलाल (मृत्यु दौराने अपील)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

4/1 श्रीमती संतोष पत्नी स्व. अनिक कुमार जाति जाट निवासी देवरोड़ हाल हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज.।

4/2 अमन पुत्र स्व. अनिल कुमार जाति जाट निवासी देवरोड़ हाल हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज.।

4/3 सुभम पुत्र स्व. अनिल कुमार जाति जाट निवासी देवरोड़ हाल हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज.।

5 रवि उम्र 30 वर्ष पुत्र अमीलाल समस्त जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

6 अमरसिंह उम्र 80 पुत्र श्री गजाधर उर्फ गंगाधर, जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

6/1 विजय सिंह पुत्र अमरसिंह जाजि जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

6/2 हरिश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थानं।

6/3 सुमित्रा पुत्री अमरसिंह पत्नी श्रवण कुमार जाति जाट निवासी राणासर तहसील व जिला झुन्झुनू राजस्थान।

6/4 इन्द्रा पुत्री अमरसिंह, पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा गोठड़ा, तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान।

6/5 फूली देवी बेवा अमरसिंह जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

7 ताराचन्द उम्र 70 वर्ष पुत्र राधकिशन जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

8 रतन सिंह उम्र 65 वर्ष पुत्र राधकिशन जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

8/1 रणजीत पुत्र रतनसिंह

8/2 रविन्द्र पुत्र रतनसिंह जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

8/3 सरोज पुत्री रतनसिंह पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम बामणवास तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान।

9 सुमती देवी उर्फ शुगनी उम्र 95 वर्ष बेवा हीरासिंह, निवासी देवरोड़, हाल गणेश कॉलोनी पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

10 अरूण उम्र 35 वर्ष पुत्र सुरेन्द्र निवासी देवरोड़ हाल गणेश कॉलोनी, पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

11 अजय उम्र 30 वर्ष पुत्र सुरेन्द्र निवासी देवरोड़ हाल गणेश कॉलोनी पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

12 नीलम उम्र 28 पुत्री सुरेन्द्र निवासी देवरोड़ हाल गणेश कॉलोनी पिलानी तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

13 अमृतकौर उम्र 60 वर्ष बेवा सुरेन्द्र जाति जाट निवासी देवरोड़ हाल गणेश कॉलोनी पिलानी, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

14 सुरेश उम्र 60 वर्ष पुत्र हीरासिंह जाति जाट, निवासी देवरोड़ हाल गणेश कॉलोनी पिलान, तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

15 सुशीला देवी पुत्री हीरासिंह, पत्नि सदाराम, जाति जाट निवासी देवरोड़, हाल गणेश कॉलोनी पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

16 शकुन्तला उम्र 58 पुत्र हीरासिंह पत्नि जवाहर सिंह जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू हाल रतनकोटेज जयपुर (राज.)

17 बाला उम्र 56 पुत्री हीरासिंह, पत्नि गुलाब सिंह निवासी देवरोड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू हाल रतनकोटेज जयपुर (राज.)

18 भगवानी देवी उम्र 90 बेवा बजरंगलाल जाति जाट निवासी देवरोड़ हाल वार्ड नं. 25, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

19 रामनिवास उम्र 65 वर्ष पुत्र बजरंगलाल, जाति जाट, निवासी देवरोड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

20 कन्हैयालाल उर्फ करणसिंह उम्र 56 वर्ष पुत्र रामकुमार

21 सत्यवीर उम्र 54 वर्ष पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

22 सन्तोष उम्र 58 वर्ष पुत्री श्री बजरंगलाल पत्नि भोलसिंह वार्ड नं. 25 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)
23 इन्द्रा देवी पुत्र श्री बजरंगलाल पत्नि शीशराम वार्ड नं. 23 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)
24 कौशल्या देवी. पुत्र बजरंगलाल पत्नि रणधीर सिंह ग्राम/पोस्ट सारी, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू।
25 राजस्थान सरकार भूमि धारी जरिये तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा बउनवानी सुरेन्द्र सिंह बनाम श्योप्रसाद
उर्फ शिव कुमार वगैरा मुं. नं. 171/2000
दिनांक 22.09.2006

उपस्थिति :

1. श्री औमप्रकाश डांगी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सतीशचन्द्र कुल्हरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 3.7.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 71/2000 में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2006 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के यहां सुरेन्द्र बनाम श्योप्रसाद उर्फ शिवकुमार वगैराह मु.नं. 171/2000 उनवानी पेश हुआ तथा इसके बाद में श्योप्रसाद उर्फ शिवकुमार बनाम अमीलाल वगैरा मु.नं. 295/2001 अदालत मातहत में पेश हुआ। उक्त दोनों मुकदमे अदालत मातहत में चलते रहे। जिनमें विवादित भूमि खसरा नम्बर 205 रकबा 0.30 हैक्टेर खसरा नम्बर 310 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 312 रकबा 2.35 हैक्टेर, 309 रकबा 0.97 हैक्टेर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.35 हैक्टेर, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.52 हैक्टेर, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.25 हैक्टेर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.01 हैक्टेर, खसरा नम्बर 72 रकबा 1.72 है., खसरा नम्बर 73 रकबा 1.51 है., खसरा नम्बर 133 रकबा 1.07 है., खसरा नम्बर 165 रकबा 1.07 है., खसरा नम्बर 184 रकबा 1.77 है., खसरा नम्बर 234 रकबा 1.23 है., खसरा नम्बर 233 रकबा 0.46 है., खसरा नम्बर 268 रकबा 0.96 है. वाके ग्राम देवरोड़ स्थित है। जिसमें वादी का 1/7 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 का 1/7 हिस्सा प्रतिवादी नं. 2 का 1/7 हिस्सा है, प्रतिवादी नं. 3 लगायत 5 का 1/7 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 का 1/7 हिस्सा है प्रतिवादी नं. 12 लगायत 19 का 1/7 हिस्सा है, प्रतिवादी नं. 20 से 23 के हिस्से की खातेदारी की घोषणा चाही तथा वाद पत्र के अनुतोष धारा (ख) में खसरा नम्बर 309, 315, 316, 317, 318, 268 में वादी व प्रतिवादी नं. 1, 2 व 6 से 23 इस भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी 6 से 11 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं. 12 से 19 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं. 20 से 23 का 1/6 हिस्सा व वादी का 1/6 हिस्सा व वादी 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किया जावे व खसरा नम्बर 308 रकबा 0.01 हैक्टर वाके ग्राम देवरोड़ है वादी को 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं. 6 से 11 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा धारा (ग) खसरा नम्बर 72, 73, 133, 135, 184, 234, 235, 305, 310, 311 रकबा 2.35 है. वाके ग्राम देवरोड़ का बंटवारा वादी व प्रतिवादी नं. 1 से 23 के बिच किया जा कर वादी को 1/7 हिस्से की भूमि बांट कर दी जावे तथा इसी धारा में खसरा नम्बर 309, 315, 316, 317, 318, 268 जो ग्राम देवरोड़ में स्थित है बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 व 6 से 23 के बिच किया जा कर वादी को 1/6 हिस्से की जमीन बंटकर अलग–अलग लगान कायम किया जावें। अनुतोष की धारा (घ) में प्रतिवादीगण 1 से 23 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि जमीन वर्णित धारा 2 में वाद पत्र में वादी का 1/7 हिस्से की जमीन काश्त करने उपभोग, उपयोग, फसल लाटने में बाधा न डाले तथा भूमि वर्णित धारा 3 वाद पत्र में वादी को 1/6 हिस्से की जमीन को काश्त करने उपयोग, उपभोग करने में बाधा न डाले व कुआ खसरा नम्बर 308 में वादी का 1/2 हिस्से में उपयोग, उपभोग में बाधा न डाले उक्त विवादित जमीन उक्त दोनों वादों में एक ही है तथा पक्षकारान भी समान है। इस कारण न्यायालय अदालत मातहत ने शिवकुमार बनाम अमीलाल उनवानी मुकदमा 295/2001 को व सुरेन्द्र बनाम शिवकुमार उर्फ श्योप्रसाद मु.नं. 171/2000 के साथ दिनांक 13–01–2006 को कन्सोलिडेट कर दिया गया। जबकि इस ऑर्डर सीट में सुरेन्द्र बनाम श्योप्रसाद का मुकदमा 171/2000 है परन्तु अदालत मातहत ने 173/2000 गलत दर्ज किया है। सुरेन्द्र बनाम श्योप्रसाद उर्फ शिवकुमार उनवानी मुकदमें में सुरेन्द्र कुमार का स्वर्गवास होने पर संसोधित वाद पत्र में 1/1 अरूण कुमार, 1/2 अजय कुमार, 1/3 अमृत कोर, 1/4 नीलम पुत्र सुरेन्द्र तथा शिवकुमार बनाम अमीलाल उनवानी मुकदमें में सुरेन्द्र प्रतिवादी नं. 7 के फोत होने पर 7/1 अमृत कोर, 7/2 अरूण कुमार, 7/3 अजय कुमार, 7/4 नीलम पुत्री सुरेन्द्र कायमी मुकामात रिकार्ड पर दर्ज हुये। अदालत मातहत में दोनों मुकदमें शिव कुमार बनाम अमीलाल वगैरा में अपीलान्ट प्रतिवादी नं. 14

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है तथा सुरेन्द्र बनाम श्योप्रसाद में अपीलान्ट प्रतिवादी नं. 3 है। अपीलान्ट/प्रतिवादी नं. 14 का शिव कुमार बनाम अमीलाल वगैरा मु.नं. 295/2001 में नोटिस की कोई तामिल नहीं हुई क्योंकि अपीलान्ट/प्रतिवादी के नाम 02–12–2003 को सम्मन जारी हुआ। उसमें रिपोर्ट तामील कुनन्दा मदनलाल द्वारा सम्मन के पिछे उम्मेद सिंह व इसका परिवार देवरोड़ में नहीं रहता है। परिवार सहित चिड़ावा में रहता है। इसलिए तामिल नहीं करवा सका की रिपोर्ट पेश है। दिनांक 05–04–2003 को अपीलान्ट प्रतिवादी पर नोटिस जारी हुआ उसके पिछे किसी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है। बावजुद इसके तामिल कुनन्दा सीताराम ने सम्न के पिछे दिनांक 08–05–2003 को बाद तामिल लिख कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश किया। जिस पर दिनांक 16.05.2003 को अदालत मातहत ने अपीलान्ट/प्रतिवादी की तामिल मानकर इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा सुरेन्द्र बनाम शिवप्रसाद उनवानी मु.नं. 171/2000 में अपीलान्ट/प्रतिवादी नं. 3 का सम्मन 20.07.2000 को जारी हुआ जिसके पीछे संदीप कुमार पुत्र उम्मेद सिंह का नाम लिख हुआ है, हस्ताक्षर नहीं है। इस सम्मन में कुनन्दा की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2000 को की जिसक तारीख पेशी 07.08.2000 नियत थी। परन्तु अदालत मातहत अवकाश पर होने से 04.10.2000 को तामिल मानकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जबकि अपीलान्ट/प्रतिवादी की किसी भी दावे में पर्याप्त तामिल नहीं होने के बावजूद अदालत मातहत द्वारा गलती से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई जबकि उक्त वादों में अपीलान्ट/प्रतिवादी के खातेदारी हक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है तथा उक्त मुकदमों बाबत अपीलान्ट/प्रतिवादी को वर्णित विवादित भूमि के मुकदमों बाबत दिनांक 02–12–2010 को पटवारी द्वारा सुरेन्द्र बनाम श्योप्रसाद उनवानी मुकदमें के निर्णया डिक्री दिनांक 22.09.2006 को जारी हुई डिक्री का अमल दारामद करने के लिए पटवारी के विवादित भूमि के मौके पर जाने से ज्ञान हुआ कि सुरेन्द्र बनाम श्योप्रसाद मुकदमें में दिनांक 22.09.2006 को वादीगण/रेस्पोडेन्ट नं. 10 लगायत 13 अरूण कुमार, अजय कुमार, अमृतकोर, नीलम एवं प्रतिवादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नं. 8, 9, 14, 15 व 16 क्रमशः सुरेश कुमार, सुमति देवी, सुशीला देवी, शकुन्तला देवी, बाला देवी के वकील द्वारा एवं शिव कुमार द्वारा राजीनामा दिनांक 01.09.2006 को पेश हुआ जिस पर दिनांक 22.09.2006 को रिकार्ड में लिया जा कर इन्हीं पक्षकारान के मध्य राजीनामा तस्दीक हुआ तथा इस राजीनामा के आधार पर डिक्री जारी हुई। जिस पर अपीलान्ट ने सुरेन्द्र बनाम श्योप्रसाद उनवानी मुकदमें की नकल 03.12.2010 को पेश करने पर उसी रोज नकल प्राप्त की व उससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर तर्क दिया कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के यहां सुरेन्द्र सिंह बनाम श्योप्रसाद उर्फ शिवकुमार वगैरह, मुकदमा नम्बर 171/2000 पेश हुआ। तत्पश्चात श्योप्रसाद उर्फ शिवकुमार बनाम अमीलाल वगैरह, मुकदमा नम्बर 295/2001 अदालत मातहत में पेश हुआ। उक्त दोनों मुकदमों में विवादित भूमि खसरा नम्बर 205 रकबा 0.30 हैक्टेर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.97 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312 रकबा 2.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.35 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.01 हैक्टेयर खसरा नम्बर 72 रकबा 1.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 73 रकबा 1.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.46 हैक्टेयर वाके ग्राम देवरोड़ स्थित है। जिसमें वादी का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 6 लगायत 11 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 12 लगायत 19 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 20 लगायत 23 का 1/7 हिस्से की खातेदारी की घोषणा चाही है। वाद पत्र के अनुतोष धारा ख में खसरा नम्बर 309, 315, 316, 317, 318 में वादी एवं प्रतिवादी नं. 1, 2, 6 लगायत 23 का इस भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी नं.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6 लगायत 11 का 1/6, प्रतिवादी नं. 12 लगायत 19 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 20 लगायत 23 का 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे। खसरा नम्बर 308 रकबा 0.01 हैक्टेर वाके ग्राम देवरोड़ स्थित है। वादी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 लगायत 11 का 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा धारा ग में खसरा नम्बर 72, 73, 133, 135, 184, 234, 235, 305, 310, 311 रकबा 2.35 हैक्टेयर वाके ग्राम देवरोड़ का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 लगायत 23 के मध्य में किया जाकर वादी की 1/7 हिस्से की भूमि बांट कर दी जावें। तथा इसी धारा में खसरा नम्बर 309, 315, 316, 317, 318 जो ग्राम देवरोड़ में स्थित है बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 लगायत 2 व प्रतिवादी नं. 6 लगायत 23 के मध्य किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से की जमीन बांट कर अलग–अलग लगान कायम किया जावें। अनुतोष की धारा घ में प्रतिवादी नं. 1 लगायत 23 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की जावे कि वर्णित धारा 2 में वादी के 1/7 हिस्से की जमीन में काश्त करने, उपयोग, उपभोग में बाधा ना डाले, उक्त दोनों दावों को यानि सुरेन्द्र सिंह बनाम श्योप्रसाद उर्फ शिवकुमार मुकदमा नं. 171/2000, शिवकुमार बनाम अमीलाल, मु.नं. 295/2001 के साथ दिनांक 13.01.2006 को कन्सोलिडेट कर दिया गया जो कि इस आर्डरशीट में सुरेन्द्र सिंह बनाम श्योप्रसाद उर्फ शिवकुमार का मुकदमा नं. 173/2000 गलत दर्ज किया है। सुरेन्द्र सिंह बनाम श्योप्रसाद उर्फ शिवकुमार, मु.नं. 171/2000 है। सुरेन्द्र सिंह बनाम श्योप्रसाद उर्फ शिवकुमार मुकदमें में सुरेन्द्र सिंह स्वर्गवास होने पर संसोधित वाद पत्र में 1/1 अरूण कुमार, 1/2 अजय कुमार, 1/3 अमृत कोर, 1/4 नीलम पुत्री सुरेन्द्र तथा शिवकुमार बनाम अमीलाल में सुरेन्द्र सिंह प्रतिवादी न. 7 फोत होने पर 7/1 अरूण कुमार, 7/2 अजय कुमार, 7/3 अमृत कौर, 7/4 नीलम पुत्री सुरेन्द्र सिंह कायमी मुकाम रिकार्ड पर दर्ज हुये। अदालत मातहत ने दोनों मुकदमों में शिवकुमार बनाम अमीलाल वगैरह में अपीलान्ट प्रतिवादी नं. 14 पर तथा सुरेन्द्र सिंह बनाम श्योप्रसाद उर्फ शिवकुमार में अपीलान्ट/प्रतिवादी नं. 3 है। शिवकुमार बनाम अमीलाल वगैरह मुकदमा नं.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

295/2001 में प्रतिवादी नं. 14 के नाम जो नोटिस जारी किये गये, उनकी कोई तामील नहीं हुई। प्रतिवादी नं. 14 उम्मेद सिंह के नाम दिनांक 02.12.2003 को जो सम्मन जारी हुआ, उस सम्मन पर तामील कुनिन्दा मदनलाल द्वारा सम्मन के पीछे उम्मे सिंह व इसका परिवार देवरोड़ में नही रहना, परिवार सहित चिड़ावा में रहता है इसलिये तामील नहीं करवा सका, रिपोर्ट पेश है। दिनांक 05.04.2003 को अपीलान्ट/प्रतिवादी पर नोटिस ग्राम देवरोड़ के पते पर जारी हुआ, उसके पीछे किसी के हस्ताक्षर नहीं है। बावजूद इसके तामील कुनिन्दा सीताराम ने सम्मन के पीछे दिनांक 08.05.2003 के वाद तामील लिखकर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई..... क्या उक्त सम्मन प्रतिवादी को ग्राम देवरोड़ के पते पर जारी किया गया, जिसपर किसी के हस्ताक्षर नही होते हुये भी अपीलान्ट/प्रतिवादी की तामील मानकर इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है, न्यायालय के समक्ष विचाराधीन बिन्दू है। यह कि प्रतिवादी जब ग्राम देवरोड़ में नहीं रहता तथा हस्ताक्षर नहीं होते हुये भी प्रतिवादी की तामील मानकर इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है, क्या उक्त आदेश अदालत मातहत का न्याय संगत है। सुरेन्द्र सिंह बनाम श्योप्रसाद उर्फ शिवकुमार उनवानी मुकदमा 171/2000 में अपीलान्ट/प्रतिवादी नं. 3 है को सम्मन ग्राम देवरोड़ के पते पर दिनांक 20.07.2000 को जारी हुआ, इसे पीछे सन्दीप कुमार पुत्र उम्मेद सिंह का नाम लिख हुआ है, जिस पर संदीप के हस्ताक्षर नहीं है और अपीलान्ट/प्रतिवादी देवरोड़ में नहीं रहता, इसके बावजूद भी कयास के आधार पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 04.10.2000 को तामील मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस प्रकार उक्त उनवानी अपील में अपीलान्ट/प्रतिवादी के सम्मन की तामील नहीं होते हुये भी अपीलान्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, जबकि अदालत मातहत को अपीलान्ट/प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर बहुत बड़ी कानूनी भूल की गई है। जिससे अपीलान्ट/प्रतिवादी के हक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। सर्विस ऑफ सम्मन प्रतिवादी को प्राप्त होने पर दावे की कापी संलग्न नहीं होने के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कारण भी सर्विस ऑफ सम्मन की पर्याप्त तामील माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं मानी गई है जबकि उक्त उनवानी मुकदमें में न्यायालय के समक्ष उक्त पत्रावली में सम्मन की तामील किसी भी सूरत में नहीं होने के बावजूद तामील मानी गई है, जो न्याय संगत नहीं होने से अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है अपीलान्ट उक्त संबन्ध में ज्यूडिशियल प्रेसिडेन्ट एआईआर 1992 पंजाब एण्ड हरियाणा पेज 101 अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा तामील नहीं होते हुये तामील मानकर दिनांक 22.09.2006 का निर्णय एवं डिक्री जारी की गई है, जिसकी अपीलान्ट/प्रतिवादी को जानकारी दिनांक 02.12.2010 से पुर्व नहीं हुई। अदालत मातहत ने उक्त मुकदमा कन्सोलिडेट होने के बाद पक्षकारान में राजीनामा के आधार पर निर्णय व डिक्री जारी हुई, परन्तु अपीलान्ट/प्रतिवादी को राजीनामा की जानकारी नहीं हुई तथा ना ही समझौते पर हस्ताक्षर करवाये गये। इस आधार पर यह निर्णय व डिक्री **Equity Justis good consensus** के आधार पर भी अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2008 किसी भी सूरत में कायम रहने योग्य नहीं है। अदालत मातहत मं अपीलान्ट/प्रतिवादी नं. 14 के अलावा अन्य सभी पक्षकारान द्वारा दिनांक 01.09.2006 को लिखित समझौता न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसके आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06. 2006 को पारित की गई। इससे पूर्व दिनांक 11.08.2006 को रेस्पोडेन्ट नं. 9 लगायत 14 द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्ट के हक में स्वैच्छा से 100/– रूपये के स्टॉम्प पेपर पर टाईप करवाकर एक दस्तावेज (हक त्याग) तैयार किया गया। उक्त दस्तावेज पर पक्षकारान द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत देवरोड़ के समक्ष हस्ताक्षर कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया गया जो दस्तावेज पत्रावली में संलग्न है यह दस्तावेज/हक त्याग विक्रय की तारीफ में नहीं आता है। इस कारण रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। क्योंकि दिनांक 11. 08.2006 को जो उक्त दस्तावेज अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.2008 से पूर्व तैयार किया गया है। यह दस्तावेज में वर्णित तथ्यों के अनुसार पारिवारिक समझौता दस्तावेज के उपर हक त्याग लिखने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हक त्याग नहीं माना जा सकता। पारिवारिक समझौता के लिये रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। इसके पक्ष में राजस्थान हाईकोर्ट एआईआर 2011 पेज नं. 24 रामसिंह बनाम श्रीमती केसर कंवर, एआईआर 2014 राजस्थान हाईकोर्ट पेज नं. 9 रासबिहारी वगैरह बनाम एडिसनल जिला जज सवाई माधोपुर संलग्न है। उक्त निर्णय व डिक्री से पूर्व दिनांक 11.08.2006 को रेस्पोडेन्ट नं. 9 लगायत 14 द्वारा (हक त्याग) पारिवारिक समझौता अपीलान्ट के हक में 100/– रूपये के स्टॉम्प पेपर पर टाईप करवाकर तकमील अदा की गई। पक्षकारान द्वारा उक्त पारिवारिक समझौता (हक त्याग) पर सरपंच ग्राम पंचायत देवरोड़ के समक्ष हस्ताक्षर कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया गया, जो पारिवारिक समझौता (हक त्याग) पत्रावली में संलग्न है। रेस्पोडेन्ट नं. 14 सुरेश पुत्र हीरासिंह द्वारा अपीलान्ट के हक में लिखित राजीनामा न्यायालय हाजा में पेश किया गया है, जो पत्रावली में शामिल है। राजीनामा से प्रमाणित होता है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः लिखित प्रतिवेदन पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्ट/प्रतिवादी को सम्मन की तामील नहीं होते हुये भी अदालत मातहत ने इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित की है को खारिज फरमाई जाकर अपीलान्ट के हक में रेस्पोडेन्ट नं. 14 द्वारा पेश राजीनामा के आधार पर वर्णित (हक त्याग) पारिवारिक समझौता में जो खसरा नम्बरान अंकित है के आधार पर निर्णय एवं डिक्री अपीलान्ट के हक फरमाई जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपन कथनों के समर्थन में एआईआर 1983 सुप्रीम कोर्ट पेज 43, एआईआर 2011 राजस्थान हाई कोर्ट पेज 9, एआईआर 1997 पंजाब एण्ड हरियाणा पेज 101, आरआरडी 2000 पेज 75, एआईआर 2006 एनओसी 142 (कान्त) पेज 117 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 06 नियम 17 व धारा 151 सीपीसी सारहीन है। यह आवेदन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खारिज किया जावें। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपीलान्ट द्वारा कहा गया कि तामील नहीं हुई जबकि शिवकुमार/अमीलाल में 05.04.2023 को नोटिस जारी हुआ जिसकी तामील, तामील कुनन्दा सीताराम के द्वारा की गई। जिसकी रिपोर्ट दिनांक 08.05.2003 को पेश की। जो कि 16.05.2023 तामील ऑडरशीट पर दर्ज है। सुरेन्द्र/श्योप्रसाद में तामील का नोटिस 20.07.2000 को जारी किया गया जिसकी तामील, तामील कुनन्दा मदनलाल द्वारा की गई जिसकी रिपोर्ट 30.07.2000 को न्यायालय में पेश की गई जो कि 04.10.2000 को तामिल मानकर कार्यवाही की गई जो कि ऑडरशीट पर दर्ज है। सुरेन्द्र/श्योप्रसाद में 01.09.2006 को राजीनामा पेश हुआ जिसे रिकार्ड में लिया जाकर इन्ही पक्षकारान के मध्य राजीनामा तस्दीक हुआ। दिनांक 22.09.2006 को डिक्री जारी हुई। अपीलान्ट का एक दावा उम्मेद सिंह/सहायक अभियन्ता वाद संख्या 37/2008 जिसमें अपीलान्ट द्वारा तथाकथित हक त्याग पेश किया गया जो कि दिनांक 11.08.2006 का है जबकि इस हक त्याग बाबत रामकुमार सिंह एडवोकेट के द्वारा अपीलान्ट को कानूनी कार्यवाही का नोटिस दिया। उस वक्त उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के यहां दावा व स्थगन आदेश चल रहा था। अपीलान्ट ने पिलानी बयान गवाह में कहा कि प्रदर्श 54 फर्जी तैयार करवाने बाबत मुझे एडवोकेट रामकुमार झाझड़िया द्वारा नोटिस दिया गया स्वीकार किया है। स्वर्गीय हीरासिंह के वारिसान में से सुमती, सुरेश, अरूण कुमार, अजय कुल्हार, अमृतकौर व नीलम में से किसी ने स्टाम्प पेपर नही खरीदा था। खुद स्वीकार है कि 2006 में सुरेन्द्र/श्योप्रसाद वाद उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा में विचाराधीन था और फैसले की बात कही है और अपीलान्ट के द्वारा कहा गया कि फैसले में शामिल रहा हूं और कहा गया कि उक्त फैसले में मैंने सुरेन्द्र सिंह के वारिसान की जिम्मेदारी भी ली थी और वाद पत्र में कहा गया कि मुझे राजीनामा व डिक्री की जानकारी नही थी। विधि अनुसार अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। प्रस्तुत दस्तावेज से अपीलांट को विचाराधीन वाद की प्रारम्भ से जानकारी होना प्रमाणित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में दो दावों को कन्सोलिडेट किया गया है। दोनों ही दावों में अपीलान्ट की सम्यक तामील नहीं हुई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय में दोनों मुकदमों में शिवकुमार बनाम अमीलाल वगैरह में अपीलान्ट प्रतिवादी नं. 14 पर तथा सुरेन्द्र सिंह बनाम श्योप्रसाद उर्फ शिवकुमार में अपीलान्ट/प्रतिवादी नं. 3 है। शिवकुमार बनाम अमीलाल वगैरह मुकदमा नं. 295/2001 में प्रतिवादी नं. 14 के नाम जो नोटिस जारी किये गये, उनकी कोई तामील नहीं हुई। प्रतिवादी नं. 14 उम्मेद सिंह के नाम दिनांक 02.12. 2003 को जो सम्मन जारी हुआ, उस सम्मन पर तामील कुनिन्दा मदनलाल द्वारा सम्मन के पीछे उम्मेद सिंह व इसका परिवार देवरोड़ में नही रहना, परिवार सहित चिड़ावा में रहता है इसलिये तामील नहीं करवा सका, रिपोर्ट पेश है। दिनांक 05.04.2003 को अपीलान्ट/प्रतिवादी पर नोटिस ग्राम देवरोड़ के पते पर जारी हुआ, उसके पीछे किसी के हस्ताक्षर नहीं है। बावजूद इसके तामील कुनिन्दा सीताराम ने सम्मन के पीछे दिनांक 08.05.2003 के वाद तामील लिखकर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई। जिसपर किसी के हस्ताक्षर नही होते हुये भी अपीलान्ट/प्रतिवादी की तामील मानकर इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है, प्रतिवादी जब ग्राम देवरोड़ में नहीं रहता तथा हस्ताक्षर नहीं होते हुये भी प्रतिवादी की तामील मानकर इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है, सुरेन्द्र सिंह बनाम श्योप्रसाद उर्फ शिवकुमार उनवानी मुकदमा 171/2000 में अपीलान्ट/प्रतिवादी नं. 3 है को सम्मन ग्राम देवरोड़ के पते पर दिनांक 20.07.2000 को जारी हुआ, इसके पीछे सन्दीप कुमार पुत्र उम्मेद सिंह का नाम लिख हुआ है, जिस पर संदीप के हस्ताक्षर नहीं है और

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलान्ट/प्रतिवादी देवरोड़ में नहीं रहता, इसके बावजूद भी कयास के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 04.10.2000 को तामील मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस प्रकार उक्त उनवानी अपील में अपीलान्ट/प्रतिवादी के सम्मन की तामील नहीं होते हुये भी अपीलान्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर विधिक त्रुटि की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक तामील करवाये बिना अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट से जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 3.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवराम भोजक)
मूल प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर